



प्रेषक,

सुभाष राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (शहरी) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत लखनऊ एवं अलीगढ़ क्षेत्र के 03 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (31वां वृत्त सेतु), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्र (तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत लखनऊ एवं अलीगढ़ क्षेत्र के 03 सेतुओं के चालू कार्यों हेतु निम्नानुसार रू० 154.43 लाख (रूपये एक करोड़ चौवन लाख तिरालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक / बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	प्रस्तावित आवंटन		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18516/CE-SEB/RYBCP/ LKO /2025-26 Dt-05-01-2026	सेतु निगम लखनऊ	जनपद लखनऊ में लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग के किमी०-10 में मरी माता मंदिर स्थित संकरे लघु सेतु के स्थान पर 5x6.00x6.00 मी० स्पान के आर० सी०सी० बॉक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	70/2024/437/001-437-2024-23-10099-23-2023-दिनांक-16-03-2024	1592.66 1592.66 0.00 1592.66	1513.03	79.63	62.74	16.89	79.63
2	18692/CE-SEB/RYBCP/ALI/2025-26 Dt- 6-01-2026	नि.ख.-1 एटा	जनपद एटा में टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग-31) के किमी०-55 में 6*3*3 मी० लघु सेतु का निर्माण कार्य।	45/2025/ 218 2/23-6099/29 / 2024-दिनांक - 31-01-2025	203.44 203.44 22.84 180.60	52.50	128.1	47.27	12.73	60.00
3	18693/CE-SEB/RYBCP/LKO/2025-26 Dt- 16-01-2026	प्रा.ख. लखनऊ	इमलीबांधन से गोयला इंडस्ट्रियल एरिया मार्ग पर क्षतिग्रस्त आर्च लघु सेतु के स्थान पर 3x6 मीटर आर०सी०सी० बॉक्स कल्वर्ट का नवनिर्माण कार्य।	20/2024/ 198 5/001-1356-2 3-10-22-2024 -दिनांक-25-11-2024	168.99 168.99 19.00 149.99	135.19	14.80	11.66	3.14	14.80
कुल योग								121.67	32.76	154.43

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) उक्त तालिका में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,21,67,000 (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010406 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 32,76,000 (रुपये बत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047890406 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।